न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –12/2025 जीसीएमएस नं0 – 2025/167

उनवान:–

भवूती पुत्र परमहंस जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौरोली तहसील व जिला धौलपुर

—————————प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार धौलपुर —————————प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी अधीन धारा 129 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति:–

श्री योगेश शर्मा एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से

दिनांक:– 30.06.2025

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश हुआ कि आराजी खसरा नम्बर 954/54 रकवा 1.7703 है0 बाके ग्राम बिछिया पटवार हल्का बसई नींव तहसील व जिला धौलपुर का गैरखातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर काबिज है। प्रार्थी ने दिनांक 28.04.2025 को आराजी खसरा नम्बर 954/54 रकवा 1.7703 बाके ग्राम बीछिया तहसील व जिला धौलपुर की विधिवत् रूप से अन्य लोगो की मौजूदगी में पैमाईश जरिए तहसीलदार धौलपुर कराई थी तथा आराजी की सीमाओं पर मुस्तकित निशान कायम करवाये थे, जो आज भी मौजूद है। प्रार्थी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी हेतु अर्सा करीब 10 दिवस पूर्व तहसीलदार धौलपुर से कहा तो तहसीलदार धौलपुर ने यह कहते हुए पत्थरगढी से इंकार कर दिया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से आदेश लेकर आओ तब पत्थरगढी करवाऊंगा। प्रार्थी उक्त आराजी की अपने खर्चे पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 954/54 रकवा 1.7703 है0 बांके ग्राम बीछिया तहसील व जिला धौलपुर की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश प्रार्थी के खर्चे पर करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट उनके पत्रांक 2473 दिनांक 24.06.2025 से प्राप्त हुई। तहसीलदार धौलपुर ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि जमाबंदी संवत् 2076–79 के मुताबिक आराजी ख.नं. 954/54 ग्राम बीछिया प्रार्थी भवूती गैर खातेदार दर्ज है। ख.नं. 954/54 की दिनांक 28.04.2025 को तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.04.2025 से सीमाज्ञान किया जा चुका है। ख.नं. विवादित है जिसकी पत्थरगढी पुलिस जाप्ता के विना किया जाना संभव नही है। उक्त आराजी वन विभाग की सीमा से लगी है। अतः राजस्व टीम एंव पुलिस मौजूदगी में सीमाज्ञान एंव पत्थरगढी किया जाना संभव बताया है।

वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 954/54 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

बीछिया की पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त आराजी प्रार्थी की गैरखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी को उक्त आराजी पर फसल प्राप्त करने तथा आराजी की सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार कानूनन प्राप्त है। प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 28.04.2025 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा कराया जा चुका है। प्रार्थी उक्त दिनांक को कराए गए सीमाज्ञान के मुताबिक ही पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराए जाने के आदेश फरमाए जावे।

वकील प्रार्थी को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ मौका पर्चा दिनांक 28.04.2025 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिससे प्रकरण से संबधित आराजी का सीमाज्ञान कराये जाने का तथ्य स्पष्ट होता है तथा तहसीलदार धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में सीमाज्ञान कराये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। प्रार्थी ने जिस आराजी की पत्थरगढी करानी चाही है उसे तहसीलदार धौलपुर ने रिपोर्ट में वन विभाग की भूमि से लगी होना बताया है। मौका पर्चा दिनांक 28.04.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.04.2025 को सीमाज्ञान के बाद मौके पर वनरक्षक उपस्थित आए थे, मौका पर्चा पर वनपाल नाका सदर के हस्ताक्षर है। मौका पर्चा पर वनपाल की कोई आपत्ति अंकित नही है। मौका पर्चा दिनांक 28.04.2025 में प्रार्थी की आराजी के दक्षिण दिशा में वन विभाग की भूमि तथा पूर्व दिशा में आर.ई.सी.एल. की भूमि होना अंकित किया है। अतः हम वन विभाग एंव आरईसीएल को पत्थरगढी कराए जाने की पूर्व सूचना दी जाकर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी कराया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धौलपुर को आराजी ख.नं. 954/54 रकवा 1.7703 है0 वाके ग्राम बीछिया तहसील व जिला धौलपुर की प्रार्थी के खर्चे पर नियमानुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढी कराये जाने की पूर्व सूचना वन विभाग एंव आर0ई0सी0एल0 को दी जावे। तहसीलदार धौलपुर ने रिपोर्ट में पत्थरगढी कराये जाने हेतु पुलिस जाप्ता की आवश्यकता होना बताया है। अतः पुलिस जाप्ता की मांग तहसीलदार द्वारा संबधित थानाधिकारी से की जावे। परवाना तहसीलदार मनियां को जारी हो। पुलिस उप अधीक्षक धौलपुर को परवाना इस आशय का जारी किया जावे कि वह संबधित थानाधिकारी को पांबद करावे कि वह तहसीलदार धौलपुर की मांग पर पत्थरगढी कार्यवाही हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्ब जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)